The Hindu 6-6-2000 p-4

NBWs against match-fixing accused

By Our Staff Reporter

NEW DELHI, JUNE 5. A Delhi court today issued non-bailable arrest warrants against Sanjeev Chawla, a London-based bookie, in a Foreign Exchange Regulation Act (FERA) violation case connected with the match fixing case.

The Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM), Ms. Sangita Dhingra Sehagal, issued the arrest warrants for June 30 on a complaint of the Enforcement Directorate (ED) alleging that the accused had failed to respond to various summons for appearance before the Directorate for investigation.

The ACMM in her order said, "I am satisfied that there is sufficient material on record to proceed against the accused for offence under Section 40 r/w 56 of the FERA, 1973. A such I take cognisance of the said offence."

The ED alleged that the respondent was deliberately avoiding his appearance before the Enforcement Directorate in order to put hurdle in the on-going investigation. Hence, due to his non-cooperative attitude, the ED was facing difficulties in expediting the investigation, counsel for the ED, Mr. Subhash Bansal, submitted.

Indian Express (Express Newsline)
6-6-2000 P-3

Court remands Kalra to judicial custody

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 5

THE court today issued non-bailable warrants for the arrest of Sanjeev Chawla, the London-based bookie, accused in the sensational match-fixing case. Meanwhile, in a dramatic turn of events, Rajesh Kalra, one of the other accused who was arrested was remanded to a 14-day judicial custody, at Patiala House courts here this afternoon. The court, however will hear his bail application tomorrow.

Additional Chief Metropolitan Magistrate, T R Nawal after hearing the Enforcement Directorate (ED) complaint today, said that there was sufficient matter on record to proceed against Chawla for avoiding arrest and booked under Section 40 of FERA , read with Section 56. ED counsel Subash Bansal told the court that ED had sent summons to England many times in the past, but except one, no other returned. The one which did come back was received back unserved. ACMM ordered that NBW be executed on Chawla for June 30. The ED had first issued the summons on May 10 and the last was sent on May 30, the prosecution said.

Meanwhile Kalra, filed his bail plea before the Additional Sessions Judge Indermeet Kaur Kochhar here this afternoon. His counsel said the prosecution had not booked a charge against the accused from 60 days of his arrest, which entitled him to immediate release on bail as he could not be detained for any longer. The ASJ after hearing the argument said that bail plea was 'premature'. He was advised to move his bail plea after 4 pm because only then would his 60 days technically get over.

The police has filed a fresh application for remand of accused to JC, which was granted by MM M K Gupta. On learning this, Kalra's counsel filed a plea for dismissal of the police request but the MM said that as he had already pasted the order, which he would not reverse. His matter will be heard tomorrow.

Sahara 6-6-2000

P-1

मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला के खिलाफ गैर जमानती वारंट

सहारा समाचार

नयी दिल्ली, 5 जून। क्रिकेट मैच फिक्सिंग मामले में लंदन में रह रहे आरोपी संजीव चावला के विरुद्ध एक अदालत ने आज गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट पटियाला हाउस के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट टीआर नवल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर कम्प्लेंट केस में जारी किये। उधर एक अन्य सत्र अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजेश कालरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मैच फिक्सिंग में बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले संजीव चावला के विरुद्ध कम्प्लेंट

(शेष पृष्ठ 8 पर)

P-8 Sahara 6-6-2000

मैच फिक्सिंग के आरोपी...

केस दायर करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अभियोजक सुभाष बंसल ने अदालत को बताया कि आरोपी संजीव चावला से मैच फिक्सिंग मामले में पूछताछ के लिए 26 अप्रैल को सम्मन जारी किये गये थे। यह सम्मन आरोपी को 1 मई को निदेशालय के समक्ष पेश होने का था और 752, मथुरा रोड, भोगल एवं सी-1, सेक्टर 14, नोएडा के पते पर भेजा गया था। यह सम्मन वापस आ गया।

विशेष अभियोजक ने बताया कि निदेशालय ने पुनः 28 अप्रैल को नोएडा के पते पर एक सम्मन भेजा। इस सम्मन पर संजीव चावला के पिता एमआर चावला ने टिप्पणी लिखी कि संजीव चावला यहां नहीं रहता है बल्कि लंदन में रहता है। इसके बाद एक और सम्मन 10 मई को संजीव चावला के नोएडा के पते पर भेजा गया जिसे आरोपी की माता ने लेने से इनकार कर दिया और उसके लंदन में रहने की बात दोहरायी।

इस बाबत कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने एक पंचनामा उक्त पते पर चस्पा कर दिया। श्री बंसल ने अदालत को जानकारी दी कि सूत्रों से संजीव चावला का लंदन का पता मालूम करके 10 मई को पेश होने के लिए एक सम्मन 6, वीगो स्ट्रीट, लंदन, डब्ल्यू-1, यूके भेजा गया जो वापस आ गया। इसके अतिरिक्त एक सम्मन 3-रैम्बलर कोर्ट, 7-स्विनफोर्ड गार्डन, हेन्डीन, लंदन के पते पर भेजा गया जो वापस नहीं आया। निदेशालय के वकील ने अपनी जिरह में कहा कि 30 मई को भी आरोपी निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुआ और वह जानबूझकर पेश नहीं हो रहा है। अतः आरोपी के विरुद्ध 204 सीआरपीसी के तहत वारंट जारी किये जायें ताकि मामले की जांच में तेजी आये।

इस मामले पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी संजीव चावला के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया तथा उसे अदालत के समक्ष 30 जून को पेश होने का आदेश पारित किया है। उधर मैच फिक्सिंग मामले में ही धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार राजेश कालरा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रमीत कौर कोचर ने खारिज कर दी। आरोपी के वकील ने जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि आज 60 दिन पूरे हो गये हैं और अपराध शाखा ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है अतः उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली जाये। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि 60 दिन आज शाम 4 बजे पूरे होंगे अतः उसके बाद ही जमानत मिल सकती है।

P-2 Dainik Jagran 6-6-2000

संजीव चावला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

प्रवर्तन निदेशालय के लंदन सम्मन भेजने पर भी हाजिर नहीं हुआ

विधि संवाददाता

नई दिल्ली, 5 जून। क्रिकेट मैच फिक्सिंग मामले में मुख्य अभियुक्त संजीव चावला के खिलाफ अदालत ने आज गैर-जमानती वारंट जारी किया। उस पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। अभियुक्त फिलहाल लंदन में है।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट टी.आर.नवल ने अभियुक्त चावला को 30 जून को पेश होने का निर्देश दिया है। श्री नवल ने निदेशालय द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञेयता लेते हुए यह वारंट जारी किया। उन्होंने अपने निर्णय में कहा कि निदेशालय द्वारा शिकायत का अध्ययन करने पर वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभियुक्त के खिलाफ फेरा अधिनियम की धारा 40 उपधारा 56 के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

निदेशालय अधिवक्ता सुभाष बंसल एवं जांच अधिकारी के.सी.अब्राहम ने अदालत को बताया कि अभियुक्त चावला मैच फिक्सिंग मामले में मुख्य अभियुक्त हैं और वह जानबूझ कर जांच से बच रहा है। उन्होंने कहा कि निदेशालय ने अभियुक्त से पूछताछ के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 की धारा 40 के तहत उसको 26 अप्रैल को नोटिस जारी कर एक मई को निदेशालय कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया था। यह नोटिस उसके नोएडा स्थित सी-1, सेक्टर 14 और दिल्ली स्थित 752, मथुरा रोड, भोगल के पते पर भेजे गए थे।

श्री बंसल ने कहा कि यह नोटिस तामिल हुए बिना ही वापस आ गए। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ 28 अप्रैल को पुन: नोटिस जारी किया गया और अभियुक्त के पिता एस.आर.चावला ने बताया कि संजीव चावला वर्तमान में लंदन में रहता है। इसके बाद 16 मई को पुन: अभियुक्त के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, मगर उनकी मां ने कहा कि संजीव चावला लंदन में ही रहने लगा है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार इसके बाद नोटिस की प्रति अभियुक्त के दोनों पतों पर चिपका दी गई।

श्री बंसल ने कहा कि गुप्त सूत्रों के जरिए अभियुक्त के लंदन निवास का पता किया गया व 30 मई को अभियुक्त के लंदन निवास 6-विगो स्ट्रीट लंदन व 3-रामबलर्स कोर्ट, 7 स्वीनफोर्ड गार्डेन, हैंडोन, लंदन के पते पर सम्मन भेजा गया। मगर अभियुक्त 30 मई को कार्यालय में नहीं आया। श्री बंसल ने कहा कि अभियुक्त जानबूझ कर निदेशालय कार्यालय में उपस्थित होने से बच रहा है। इस प्रकार वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा, जबकि कानूनी तौर पर वह कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य है। अत: उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि मैच फिक्सिंग के इस मामले में अभिनेता किशन कुमार व राजेश कालरा नामक अभियुक्त पहले ही न्यायिक हिरासत में है।

Page-7 Times OF India Dated - 10-6-2000

Kalra, Kishan released on bail

By A Staff Reporter

NEW DELHI: Match fixing accused bookie Rajesh Kalra and flop film actor Kishan Kumar have been released from Tihar Jail on bail after the high court accepted their appeal on Friday.

Both the accused have been finally been granted bail in both the police and Enforcement Directorate (ED) cases relating to the match fixing scandal.

Granting bail to Kalra in the ED case, justice R S Sodhi asked him to submit a personal bond of Rs 2,00,000 and one surety of the same amount at the trial court.

Imposing several conditions on the accused, the court asked him not to leave the country without the prior permission and his passport will continue to remain in the possession of the investigating officer.

The court also warned him not to try to interfere, directly or indirectly, with the investigation.

With bail in ED case, Kalra will be actually out of prison as he has already been granted bail in the police case on Tuesday.

Kalra's lawyer Vineet Malhotra had submitted that the accused can be detained under FERA which is a dead law now.

Special public prosecutor (ED) Subhash Bansal admitted that the directorate is not sure when it will submit the chargesheet, which is in any case would not be before the expiry of 60 days of custody of the accused.

Arguing for Kishan Kumar's bail, his lawyer R K Anand said since interrogation of Kumar by the ED was over, there was no reason for detaining him in judicial custody.

Anand claimed that ED had no legal evidence against his client to be able to file a chargesheet.

मैच फिक्सिंग मामले में किशन कुमार व कालरा की जमानत मंजूर

Sahara
10-6-2000 Page - 1

सहारा समाचार

नयी दिल्ली, 9 जून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैच फिक्सिंग मामले के आरोपी राजेश कालरा और किशन कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी। दोनों आरोपियों को अदालत की इजाजत के बगैर दिल्ली से बाहर जाने पर अदालत ने रोक लगा रखी है।

किशन कुमार फेरा उल्लंघन और धोखाधड़ी के दोनों मामलों में तथा राजेश कालरा को फेरा उल्लंघन के मामले में जमानत मिली है। राजेश कालरा धोखाधड़ी के आरोप में गत 6 जून को ही जमानत पर रिहा होने के आदेश हासिल कर चुका है। न्यायमूर्ति आर.एस. सोढी ने किशन कुमार को फेरा उल्लंघन के मामले में पांच लाख रुपये की जमानत तथा उतने ही रुपये के एक निजी मुचलके पर जमानत दी है जबकि उसे धोखाधड़ी मामले में दो लाख रुपये की जमानती तथा उतने ही रुपये के एक निजी मुचलके पर जमानत दी है। उन्होंने

(शेष पृष्ठ 8 पर)

P-8 Sahara 10-6-2000

मैच फिक्सिंग मामले में...

राजेश कालरा को फेरा उल्लंघन के मामले में दो लाख रुपये के जमानती तथा उतनी ही राशि के एक निजी मुचलके पर जमानत दी है।

दोनों आरोपियों को अदालत का यह भी निर्देश है कि वे इस मामले से संबंधित किसी गवाह को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरित करने एवं किसी साक्ष्य को भी मिटाने की कोशिश न करें। जांच एजेंसियों द्वारा बुलाये जाने पर वे उनके समक्ष उपस्थित हो एवं जांच में सहयोग करें। प्रवर्तन निदेशालय के वकील सुभाष बंसल ने दोनों आरोपियों के खिलाफ फेरा उल्लंघन के मामले में कहा कि निदेशालय ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया है। वह अभी भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। वर्तमान में वह आरोप पत्र दाखिल नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस के वकील एस.एस. गांधी ने कहा कि उसे अभी विदेशों से सूचनाएं नहीं मिली हैं। पुलिस जांच के सिलसिले में दूसरे देशों से भी जानकारी मांग रही है।

किशन कुमार के वकील राम कुमार आनंद ने न्यायालय से कहा कि कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल करने से पहले जांच एजेंसी को आरोपियों को सात दिनों का नोटिस देना होता है। कानून के तहत निर्धारित समय पूरा होने में अभी चार दिन बाकी है। जांच एजेंसी ने अभी तक उसके मुवक्किल को नोटिस जारी नहीं किया है। इससे लगता है कि जांच एजेंसी आरोप पत्र दाखिल नहीं करने जा रही है। इस स्थिति में आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

राजेश कालरा के वकील पीपी मल्होत्रा ने भी कहा कि उसका मुवक्किल दो महीनों से न्यायिक हिरासत में है और जांच एजेंसी आरोप पत्र दाखिल नहीं करने जा रही है। इस स्थिति में जमानत दी जाए। न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोप पत्र दाखिल करने पर अभी विचार नहीं कर रही हैं। आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं उनके अनुसार जांच एजेंसी को 60 दिनों के भीतर कानपूनन आरोप पत्र दाखिल करना है। अगर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो आरोपी जमानत के हकदार है। इस स्थिति में दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है।

Fresh arrest warrants issued against Chawla

4-7-2000 Hindustan Times

HT Correspondent
New Delhi, July 3

A CITY court today issued fresh non-bailable warrants (NBW) against the elusive Sanjeev Chawla, who is suspected to be the key man behind the fixing of the South-Africa-India Pepsi cricket series.

The Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM), Mr T.R. Naval, issued fresh NBWs for September 21.

The non-bailable warrants were issued on the complaint of the Enforcement Directorate (ED). Earlier the court had issued non-bailable warrants against Chawla on June 5. The Enforcement Directorate is probing alleged violation of Foreign Exchange Regulation Act (FERA) in the match-fixing episode.

Match-fixing case

Chawla is believed to be the one of the kingpins involved in the betting scandal.

According to the investigations done by the department, Sanjeev Chawla is alleged to be involved in FERA violations of Rs 4 lakh.

Counsel for the ED, Mr Subash Bansal, told the court that they however have returned unserved.

The ED had sent the NBWs on the local address of Chawla and on his London address.

"The report from the Interpol regarding it is awaited still, so fresh NBWs should be issued against Chawla," Mr Bansal informed the court.

The other two accused — Rajesh Kalra and Kishan Kumar — arrested in the match fixing case, have however been released on bail as the Delhi Police and the Directorate failed to file in chargesheets within the stipulated period of time.

Sahara 13-3-2001

मैच फिक्सिंग आरोपी किशन की विदेश जाने संबंधी अर्जी नामंजूर

सहारा समाचार
नयी दिल्ली, 13 मार्च 2001

मैच फिक्सिंग मामले में आरोपी अभिनेता किशन कुमार की विदेश जाने की संबंधी अर्जी राजधानी की एक अदालत ने नामंजूर कर दी। आरोपी किशन कुमार ने इससे पहले भी एक अर्जी उच्च न्यायालय में दी थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था।

पटियाला हाउस के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके महेश्वरी की अदालत में मैच फिक्सिंग मामले के आरोपी किशन कुमार ने विदेश जाने संबंधी अर्जी में कहा था कि उसे अपने इलेक्ट्रानिक व्यवसाय के मामले में 15 से 25 मार्च 2001 तक हांगकांग जाना है। इस मामले में हांगकांग की एक कंपनी मैसर्स डायनामैग इंटरनेशनल द्वारा भेजा फैक्स संदेश भी अदालत को दिखाया गया। इस अर्जी का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अभियोजक सुभाष बंसल ने कहा कि आरोपी किशन कुमार ने अभी तक अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को नहीं सौंपा है।

इसके अतिरिक्त मैच फिक्सिंग मामले में बहुत से तथ्य विभिन्न देशों से आने हैं। यदि विदेश जाने की अनुमति इस समय दी जाती है तो इन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका है।

जानकारी हो कि किशन कुमार को जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 जून 2000 दी थी। उसे पुलिस ने 14 अप्रैल 2000 को गिरफ्तार किया था परंतु दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पायी थी। आज अदालत ने इस अर्जी को इन्हीं आधार पर नामंजूर कर दिया। विदेश जाने की अनुमति वाली एक अर्जी अपराध शाखा की अदालत में भी लगी है, जिस पर अभी अदालत ने आदेश पारित नहीं किया है।

जनसत्ता २२-३-२००१

मैच फिक्सिंग के आरोपी किशन कुमार को अदालत ने विदेश जाने की इजाजत दी

नई दिल्ली, २२ मार्च (जनसत्ता)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैच फिक्सिंग कांड में आरोपी और अभिनेता किशन कुमार को व्यवसाय के सिलसिले में हांगकांग जाने की इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी ने किशन कुमार को मामले में ५० लाख रुपए के निजी मुचलके और १० लाख रुपए की दो जमानतें भरने की शर्त पर यह इजाजत दी है।

मैच फिक्सिंग कांड के सिलसिले में किशन कुमार के खिलाफ दो मामले दर्ज हुए थे। पहला मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। यह मामला चार सौ बीसी का है। वहीं दूसरा मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था। यह मामला फेरा उल्लंघन का है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महेश चंद्र गुप्ता ने किशन कुमार को १४ मार्च को विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। किशन कुमार १५ मार्च से २५ मार्च तक के लिए हांगकांग जाना चाहता था। लेकिन फेरा उल्लंघन वाले मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके महेश्वरी ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील सुभाष बंसल की दलीलों से सहमति जताते हुए किशन कुमार को हांगकांग जाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया। जज महेश्वरी के इस आदेश को किशन कुमार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।

अभिनेता किशन कुमार की विदेश जाने की जमानत याचिका रद्द

Punjab Kesri
14/3/2001

संगीता शर्मा नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से मैच फिक्सिंग मामले में अभियुक्त किशन कुमार की विदेश जाने की अर्जी को रद्द कर दिया। पटियाला हाऊस स्थित अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट वी.के. महेश्वरी ने अर्जी रद्द करते हुए कहा कि अभी प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है तथा इस समय उनका विदेश जाना ठीक नहीं होगा तथा जांच पर गलत असर पड़ेगा।

किशन कुमार ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें हांगकांग की एक कम्पनी डायना मैग इन्टरनैशनल से एक फैक्स आया है जिसमें उनका अपनी कम्पनी से इलैक्ट्रानिक कम्पोनैंट के खरीद के सिलसिले में जाना अनिवार्य है।

प्रवर्तन निदेशालय के वकील श्री बंसल ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि न तो उन्हें फैक्स मैसेज में कुछ सच्चाई नजर आ रही है और न ही इस समय किशन कुमार का विदेश जाना जांच प्रक्रिया के लिए अच्छा होगा। श्री बंसल ने कहा कि उन्होंने विदेशों में कई 'लैट्रोगैटरी' भेजे हुए हैं तथा विदेशों में जांच चल रही है। किशन कुमार के विदेश जाने से वह विदेशों में रह रहे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

कैसेट किंग गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार को पिछले वर्ष अप्रैल में मैच फिक्सिंग के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय तथा क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत जून में जांच एजैंसी द्वारा कोई कम्पलैंट दाखिल न कर पाने के कारण हो गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 लाख की निजी मुचलके तथा इतनी ही रकम की एक जमानत पर जमानत दी थी तथा पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने के निर्देश दिए थे।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार किशन कुमार ने अब तक अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा नहीं करवाया। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने स्टाक ब्रोकर राजेश कालरा को भी गिरफ्तार किया था तथा लंदन रह रहे संजीव चावला को भी अभियुक्त बनाया था। किशन कुमार ने एक और अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.सी. गुप्ता की अदालत में भी डाली है जिसकी सुनवाई कल होगी।